



**भारत सरकार**  
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**  
**क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)**  
**Ministry of Environment, Forest and Climate Change**  
**Regional Office (Central Region)**

केन्द्रीय भवन, पंचम तला, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025

Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र संख्या/06/33/2016/एफ0सी० | ५८७

Asansol

Ch/6/117

C.C.F  
R.O.

6-17

दिनांक : 02/01/17

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),  
उत्तर प्रदेश शासन,  
बापू भवन, लखनऊ।

विषय: जनपद हरदोई में सण्डीला-बालामऊ मार्ग एस०एच०-25 किमी० 202-203 के मध्य बांधी पटरी पर ग्राम-रैसों चौखसरो संख्या-184 में एस्सार ऑयल लिंग के रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.06677हेठो संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी-171/14-2-2016-800 (172)/2016, दिनांक- 08.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरिक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित हैं-

1. The gazette notification attached with the proposal has not been authenticated by the concerned DFO.
2. The proposal is without providing geo coordinate of key points of proposed forest land for diversion.
3. The layout plan of the petrol pump providing area details is a Xerox copy and signature of authorities owning the land are not clear.
4. The compensatory afforestation scheme has been for plantation of 100 trees in brick guard amounting to Rs. 4.14 lakhs. As per proposed diversion this brings out rate of Rs. 62 lakhs per ha for diversion of 1.00 ha. which is on higher side therefore needs revision/correction.

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें।

प्राप्त प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।

संलग्नक— मूल प्रस्ताव

*(Signature)*  
20/1/17

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, हरदोई, उ० प्र०।
3. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, 315 316 साइबर साइट विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश प्रत्रावली

*(Signature)*  
15/11/17

(बृजेन्द्र स्वरूप)

वन संरक्षक क्रेन्द्रीय}

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— १५२५/हरदोई/20978/2016, दिनांक, लखनऊ, जनवरी ०१, 2017

प्रतिलिपि विशेष सचिव, उ०प्र०शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग—२, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की प्रतियों इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं का निराकरण किया जा सके।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियों इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं इंगित सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव तथा निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार सूचना इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, हरदोई को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव एवं निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार सूचना मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, 315,316 साइबर हाईट, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, हरदोई को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

*(Signature)*

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

The  
square  
RS. ००  
००००